

कनवास बाम गौर को
Case no. 78/2018

27-11-19

वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । चूंकि वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास में पीठासीन अधिकारी का नियमित पदस्थापन हो जाने से प्रार्थी का उपखण्ड अधिकारी कनवास में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने का कोई औचित्य नहीं है । अतः यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है । विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तामिल तकमिल दाखिल दफ्तर की जावें ।

